[2019] 4 उम. नि. प. 23

ज्येष्ठ प्रभागीय प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य

बनाम

श्री लाल मीणा

[2015 की सिविल अपील सं. 14739 तथा
2019 की सिविल अपील सं. 3138-3141]

15 मार्च, 2019

मुख्य न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ

भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 - नियम 3(1)(क) [सपठित भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) विनियम, 1960 का विनियम 18] - त्यागपत्र - त्यागपत्र देने के समय पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का कोई उपबंध न होना - त्यागपत्र देने के पश्चात् भूतलक्षी रूप से लागू होने वाले पेंशन नियमों के अधीन पेंशनिक फायदों का दावा - जब कोई कर्मचारी त्यागपत्र देता है तो वह उस तारीख को विद्यमान निबंधनों और शर्तों के अधीन स्वयं को सेवा से विलग करने का सुविचारित निर्णय लेता है और त्यागपत्र देने से पिछली संपूर्ण सेवा का समपहरण हो जाता है, इसलिए त्यागपत्र देने वाला कर्मचारी विशेष रूप से तब पेंशन स्कीम के फायदों की ईप्सा नहीं कर सकेगा जब सुसंगत पेंशन विनियमों के अधीन पेंशनिक फायदों की ईप्सा करने के लिए त्यागपत्र देना एक निरर्हता हो ।

साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 - खंड 22 और साधारण बीमा (अधिकारियों और विकास कर्मचारिवृन्द की सेवा-समाप्ति, अधिवर्षिता और भर्ती) स्कीम, 1976 - खंड 4(4-क) - त्यागपत्र - त्यागपत्र के समय लागू स्कीम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की संकल्पना का अभाव - स्कीम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की संकल्पना पुरःस्थापित करते हुए भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जाना - उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय

द्वारा इस स्कीम का फायदा कतिपय कर्मचारियों को दिया जाना - चूंकि त्यागपत्र दिए जाने से पिछली संपूर्ण सेवा का समपहरण हो जाता है और त्यागपत्र देने या उसकी स्वीकृति के समय कर्मचारी की आयु 55 वर्ष नहीं थी, जो कि संशोधित स्कीम लागू करने की आवश्यक शर्त है, इसलिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तीन वर्ष पश्चात् उस निर्णय के आधार पर पेंशन स्कीम का फायदा देने के लिए फाइल किया गया विलंबित दावा अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है ।

आन्ध्र बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 - विनियम 2(म) - त्यागपत्र - सेवानिवृत्ति, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी है, और त्यागपत्र के बीच विभेद - यदि त्यागपत्र देने के समय स्वेच्छया सेवानिवृत्ति का उपबंध करने वाले पेंशन विनियम अस्तित्व में नहीं हैं तो सेवा से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति को मात्र इस कारण वही पेंशनिक फायदे अनुज्ञात नहीं किए जा सकते हैं कि उन पेंशन विनियमों को इससे पूर्व किसी अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को भी लागू किया गया है ।

इस मामले का संबंध भारतीय जीवन बीमा निगम के एक कर्मचारी ; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एक कर्मचारी और आन्ध्र बैंक के कर्मचारियों के एक समूह से है । इन कर्मचारियों ने तब त्यागपत्र दिया जब इन प्रश्नगत संस्थाओं में पेंशन स्कीमें प्रवृत्त नहीं थीं । पेंशन स्कीमें बाद में किन्तु भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुईं । अतः, जो प्रश्न उद्भूत हुआ वह यह था कि वे कर्मचारी, जिन्होंने उस तारीख के बाद, जिससे पेंशन स्कीमें लागू की गई थीं, किन्तु उस तारीख से पूर्व, जिसको स्कीमें अधिसूचित की गई थीं, सेवा से त्यागपत्र दिया था, प्रश्नगत पेंशन स्कीमों के फायदे के हकदार होंगे अथवा नहीं । इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस न्यायालय के न्यायिक दृष्टिकोणों में भिन्नता है और इस मामले की परीक्षा एक बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा की जानी आवश्यक है । 2015 की सिविल अपील सं. 14739 में निर्देश आदेश पारित किया गया था और इस प्रकार यह मामला इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

2015 की सिविल अपील सं. 14739

प्रस्तुत सिविल अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी ने, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम का कर्मचारी था, 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वैच्छिक निवृत्ति की ईप्सा की, जिसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया था । अतः, उसने तारीख 14 जुलाई, 1990 को त्यागपत्र दिया और जिसे स्वीकार कर लिया गया था और उसी तारीख से प्रभावी हुआ । इसके लगभग पांच वर्ष पश्चात् भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 प्राख्यापित किए गए थे किन्तु इन्हें भूतलक्षी प्रभाव से तारीख 1 नवम्बर, 1993 से प्रवृत्त किया गया । पेंशन नियम उन सभी कर्मचारियों को लागू कर दिए गए जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् भारतीय जीवन बीमा निगम में सेवारत थे किन्तु जो 1 नवम्बर, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं बशर्ते वे कर्मचारी पेंशन नियमों में उपबंधित अन्य शर्तों को पूरा करते हों । प्रत्यर्थी तारीख 1 जनवरी, 1986 के पश्चात् सेवा में था किन्तु उसने 14 जुलाई, 1990 से त्यागपत्र दे दिया था । उसने अपने त्यागपत्र से पूर्व स्वयं के लिए स्वैच्छिक निवृत्ति की प्रस्थापना करते हुए एक प्रयत्न भी किया था । अतः, उसका मत यह था कि पेंशन नियम उसे लागू किए जाने चाहिए और उसने तद्नुसार एक अनुरोध किया तथापि, भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस आधार पर इससे इनकार कर दिया कि उसने सेवा से त्यागपत्र दिया था । अंततः उसने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका फाइल की, जिसे विद्वान् एकल न्यायाधीश ने उसके पक्ष में विनिश्चित किया । विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय की मुख्य बात प्रत्यर्थी द्वारा स्वैच्छिक निवृत्ति के लिए किया गया अनुरोध है और यह कि कर्मचारिवृन्द विनियमों के अधीन उस संबंध में किसी उपबंध के अभाव के कारण ही उसे त्यागपत्र देना पड़ा था । उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिलिखित किया कि इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी ने अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी कर ली थी जिससे कि यदि यह स्कीम सुसंगत समय पर विद्यमान होती तो वह पेंशनिक फायदों का हकदार हो जाता । भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील की, किन्तु वह अपील खारिज कर दी गई । भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इसके पश्चात् प्रस्तुत अपील फाइल की गई है, जिसमें निर्देश

आदेश पारित किया गया था ।

2016 की सिविल अपील सं. 10904

प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी ने, जिसने प्रत्यर्थी कंपनी में 32 वर्ष की लंबी अवधि तक सेवा की, तारीख 1 अक्तूबर, 1993 को त्यागपत्र दे दिया और उसे स्वप्रेरणा से "समयपूर्व सेवानिवृत्ति" वर्णित किया, जो कि 30 नवम्बर, 1993 को स्वीकार कर लिया गया । उस समय उसे लागू सुसंगत स्कीम में स्वैच्छिक निवृत्ति की कोई धारणा नहीं थी । तथापि, इसके लगभग तीन वर्ष पश्चात् स्कीम में संशोधन करते हुए भूतलक्षी प्रभाव से तारीख 1 नवम्बर, 1993 से स्वैच्छिक निवृत्ति की धारणा पुरःस्थापित की गई । वर्ष 2011 में, उच्चतम न्यायालय ने इस स्कीम का फायदा कतिपय कर्मचारियों को दे दिया । इसके तीन वर्ष पश्चात् अपीलार्थी ने अपने मामले को उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय पर आधारित करते हुए साधारण खंड (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 के आधार पर पेंशन की ईप्सा की । चूंकि उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया इसलिए उसने उच्च न्यायालय में याचिका फाइल की जो कि खारिज कर दी गई । इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई ।

2016 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 5716-5719

प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी बैंक के कर्मचारियों ने वर्ष 1991 से 1993 की अवधि के दौरान सेवा से त्यागपत्र दिया था । उस समय ये कर्मचारी आन्ध्र बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1982 द्वारा शासित होते थे । इसके काफी समय पश्चात् आन्ध्र बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 पुरःस्थापित किए गए, जो कि उसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हुए । किन्तु पेंशन विनियमों को उन कर्मचारियों को लागू किया गया था जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 नवम्बर, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे । अपीलार्थियों ने इन पेंशन विनियमों के अधीन फायदा प्रदान करने की प्रार्थना की, जो कि नामंजूर कर दी गई थी । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई याचिका खारिज कर दी । अतः उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल कीं थीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा 2015 की सिविल अपील सं. 14739 को मंजूर करते हुए और 2016 की सिविल अपील सं. 10904 तथा 2019 की सिविल अपील सं. 3138-3141 खारिज करके तद्नुसार निर्णय करते हुए,

अभिनिर्धारित – (2015 की सिविल अपील सं. 14739) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 से यह दर्शित होता है कि त्यागपत्र देने से पिछली संपूर्ण सेवा का समपहरण हो जाता है और परिणामस्वरूप वह पेंशनिक फायदों के लिए अर्हित नहीं होगा । नियम 31 'स्वैच्छिक निवृत्ति पर पेंशन' के संबंध में है, जो कि 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर अनुज्ञेय है और इसके लिए लिखित में कम से कम 90 दिन की सूचना दी जानी होगी । अतः, जो विवादास्पद प्रश्न विचारार्थ उद्भूत होता है वह प्रस्तुत तथ्यात्मक परिदृश्य में इन नियमों को भूतलक्षी रूप से लागू किए जाने के प्रभाव के संबंध में है । यदि पेंशन नियम केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू हुए होते तो इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी दावा फाइल करने का साहस नहीं कर सकता था । इस पहलू का मूल्यांकन करने की दृष्टि से, उस विस्तार का, जहां तक भूतलक्षिता लागू होती है, इन पेंशन नियमों के आधार पर ही विश्लेषण करना होगा, जो कि अभिदायी प्रकृति के हैं । सुसंगत तारीख को प्रत्यर्थी ने उस तारीख को यथा-प्रचलित निबंधनों और शर्तों के आधार पर स्वयं को अपीलार्थी की सेवा से विलग करने का सुविचारित विनिश्चय लिया । इसके बाद पांच वर्षों तक क्या कुछ हुआ उसका ऐसे किसी फायदे पर कोई असर नहीं होगा जो कि ऐसे कर्मचारी को प्रत्यर्थी के रूप में प्रोद्भूत हो सकता है, उस सीमा तक के सिवाय जहां तक वह उसे विनिर्दिष्ट रूप से लागू किया गया है । यह कहना अतिसामान्य है कि कानूनी उपबंधों का, जब तक उनकी शब्दावली में कोई संदिग्धता न हो, स्पष्ट अर्थान्वयन किया जाना चाहिए । प्रश्नगत पेंशन नियमों में ऐसी कोई संदिग्धता नहीं है जिसके कारण ऐसा कोई अर्थान्वयन किए जाने की आवश्यकता है जो कि उसके साधारण शब्दों से भिन्न है । पेंशन नियमों को तारीख 1 नवम्बर, 1993 से भूतलक्षी तारीख से प्रवर्तन में लाया गया है । इस प्रकार, तर्कसम्मत रूप से वे ऐसे सभी कर्मचारियों को लागू होंगे जो 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवा में थे । प्रत्यर्थी ऐसा व्यक्ति नहीं था । पेंशन नियमों का नियम 3(1)(क) इन पेंशन नियमों को ऐसे कर्मचारियों को भी लागू होने के संबंध में है, जो तारीख 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् और तारीख 1 नवम्बर, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं । ऐसे कर्मचारियों के लिए भी लिखित में इस विकल्प का प्रयोग किए जाने की अपेक्षा है कि वे अधिसूचित तारीख से 120 दिन की कालावधि के भीतर भारतीय जीवन

बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन निधि के सदस्य बने और उसके पश्चात् 60 दिन के भीतर भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिदाय की संपूर्ण रकम का प्रतिदाय, उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, भविष्य निधि में करें । ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कर्मचारी इस कालावधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं उन्होंने तत्समय विद्यमान कर्मचारिवृन्द विनियमों के अधीन अभिदायी भविष्य निधि फायदे का उपभोग किया था और नए पेंशन नियमों को उन्हें लागू करने के लिए उन्हें उन विनियमों के अधीन लिए गए फायदों का उस सीमा तक, जहां तक उनका अभिदाय भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया था, त्याग करना होगा । नियम 3(1)(क) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति स्पष्ट और असंदिग्ध है - 'सेवानिवृत्त' । इसमें नियोजक-कर्मचारी के संबंध का अवधारण करने के लिए किसी अनुकल्पी अभिव्यक्ति का भी प्रयोग नहीं किया गया है, जैसा 'त्यागपत्र' । इन्हीं नियमों में, 'त्यागपत्र', 'पदच्युति' 'हटाया जाना' जैसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है और पेंशन नियमों के नियम 23 में इनका प्रयोग अधिक विनिर्दिष्ट रूप से किया गया है । जब एक ही नियमों में भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियों का प्रयोग भिन्न-भिन्न संदर्भों में किया जाता है तब उन सभी अभिव्यक्तियों का एक ही अर्थ नहीं लगाया जा सकता है । (पैरा 15, 16, 17 और 18)

जब पेंशन नियम लागू होते हैं और कोई कर्मचारी त्यागपत्र दे देता है तब उसके परिणाम ये होते हैं कि पेंशन नियमों के नियम 23 के अधीन सेवा का समपहरण हो जाता है । पेंशन नियमों को प्रत्यर्थी को लागू करने का प्रयास करना अपने आप में विफल करने वाला तर्क देना होगा । किसी निर्णय का पठन उसकी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के प्रतिनिर्देश करके उसमें अधिकथित विधि के लिए पढ़ा जाना होता है । यहां-वहां आने वाली पंक्तियों या वाक्यांशों को उस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से असंबद्ध रहते हुए, जिसके संदर्भ में वे मताभिव्यक्तियां की गई थीं आत्यांतिक निबंधनों में नहीं पढ़ा जाना चाहिए । सुसंगत विधिक सिद्धांत यह है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एक ऐसी धारणा है जिसका अभिप्राय उन सेवा-शर्तों से लगाया जाता है जो किसी कानूनी उपबंध द्वारा सृजित की जाती हैं, जबकि त्यागपत्र नियोजक-कर्मचारी के संबंध का एकपक्षीय अवधारण है, जिसके द्वारा कोई कर्मचारी बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता है । (पैरा 19, 20 और 22)

पब्लिक सेक्टर के आदर्श नियोजक होने से संबंधित सिद्धांतों और पेंशन के उपबंध लाभप्रद विधान होने के बारे में कुछ मताभिव्यक्तियां

की गई हैं । तथापि, इस मुद्दे पर पूर्त सिद्धांत के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है । जब विधान-मंडल अपने विवेकानुसार, किसी विशिष्ट तारीख से और किन्हीं विशिष्ट निबंधनों और शर्तों के आधार पर पेंशन विनियमों के रूप में कतिपय फायदाप्रद उपबंध बनाता है तब उन पहलुओं को, जो उनमें अपवर्जित है, विवक्षा द्वारा सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । उन उपबंधों का पठन तब तक उस प्रकार करना होगा जिस प्रकार किया जाता है जब तक कि उनमें कुछ भ्रम न हो या वे कोई अन्य निर्वचन किए जाने योग्य न हों । ऐसी स्कीमों को विरचित करते समय एक महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि वे अभिदायी प्रकृति की होती हैं और उनकी वित्तीय विवक्षाएं होती हैं । ऐसी वित्तीय विवक्षाएं अभिदाताओं और राज्य, दोनों के लिए होती हैं । अतः ऐसी फायदाप्रद स्कीमों को उन कर्मचारियों तक विस्तारित करने के लिए, जिनके लिए वे स्कीमें विधान-मंडल द्वारा बनाई ही नहीं गई थीं, उनकी निर्धारित रूपरेखा से परे विस्तारित करना अनुचित होगा । (पैरा 25)

(2016 की सिविल अपील सं. 10904)

साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 के खंड 22 के अनुसार त्यागपत्र देने पर सेवा का समपहरण हो जाता है । शील कुमार जैन वाले मामले में सुधीर चन्द्र सरकार बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के निर्णय को ध्यान में रखा गया था । उपर्युक्त मामले में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने जो राय व्यक्त की थी वह निवृत्ति नियम, 1937 के अनुसार 'सेवानिवृत्ति' की परिभाषा पर आधारित थी जो कि विस्तृत थी और उसमें केवल अवचार के कारण सेवोन्मुक्ति द्वारा हटाया जाना छोड़कर बाकी सब कुछ सम्मिलित था । अतः, इस निर्णय का और कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता था । हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि उपर्युक्त मामले में कुछ ऐसी मताभिव्यक्तियां भी हैं कि पेंशन और उपदान दोनों सेवानिवृत्ति संबंधी फायदे हैं और लंबी अवधि तक सेवा करने वाले कर्मचारी को पेंशन या उपदान या भविष्य निधि के रूप में, इनमें से सेवानिवृत्ति संबंधी जो फायदा उस औद्योगिक स्थापन में प्रवर्तनशील हो, कुछ सीमा तक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए । इस अपील के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, भविष्य निधि का फायदा दिया गया है क्योंकि सुसंगत काल प्रक्रम में यही स्कीम लागू

थी । अधिकथित सिद्धांत यह नहीं है कि ये सभी फायदे एक-साथ दिए जाने चाहिएं किन्तु कम से कम एक फायदा अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए, हालांकि एक से अधिक फायदा दिए जाने के विरुद्ध कोई प्रतिषेध नहीं है । अपीलार्थी द्वारा अपने त्यागपत्र को स्वयं "समयपूर्व सेवानिवृत्ति" के रूप में वर्गीकृत करने मात्र से कोई अंतर नहीं पड़ता है । सेवा के समपहरण से संबंधित वहीं सिद्धांत इस मामले में भी लागू होगा और यदि 1976 की स्कीम भी लागू की जानी थी तो भी जब अपीलार्थी ने त्यागपत्र दिया था तब उसने अपेक्षित आयु पूरी नहीं की थी । अपीलार्थी कई वर्षों तक शांत रहा और यह न्यायालय, शील कुमार जैन वाले मामले में बाद में अपनाए गए विशिष्ट मत को ध्यान में रखते हुए इस बात के लिए हकदार नहीं बनाएगा कि इस निमित्त अपीलार्थी के दावों जैसे पुराने दावे उठाए जाएं । वास्तव में, अपीलार्थी ने निर्णय सुनाए जाने के पश्चात् भी लगभग दो वर्ष से भी कुछ अधिक समय तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की । (पैरा 31, 32, 33, 34, 35 और 36)

2016 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 5716-5719

आन्ध्र बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम 2(म) के अधीन स्वैच्छिक निवृत्ति को सेवानिवृत्ति की परिभाषा के अंतर्गत लाया गया था किन्तु त्यागपत्र की धारणा को उसके अंतर्गत लाना उचित नहीं समझा गया था । चूंकि सेवा विधिशास्त्र में, 'त्यागपत्र' और 'सेवानिवृत्ति' की संकल्पना को भिन्न-भिन्न माना गया है और उन्हीं विनियमों में इन अभिव्यक्तियों का प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थों में किया गया है, इसलिए इसमें किसी भी रीति में कोई संदेह नहीं रहता है कि फायदा नहीं दिया जा सकता था, विशेष रूप से तब जब कि विनियमों के अधीन त्यागपत्र, पेंशनिक फायदों की ईप्सा करने के लिए एक निरर्हता है । (पैरा 42)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	(2016) 13 एस. सी. सी. 797 : **असगर इब्राहिम अमीन** बनाम **भारतीय जीवन बीमा निगम** ;	25

[2014] (2014) 16 एस. सी. सी. 260 :
शशिकला देवी बनाम **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** ; 25

[2012] (2012) 9 एस. सी. सी. 671 :
एम. आर. प्रभाकर और अन्य बनाम **केनरा बैंक और अन्य** ; 24,41,42

[2011] (2011) 12 एस. सी. सी. 197 :
शील कुमार जैन बनाम **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** ; 28,32,36

[2004] (2004) 9 एस. सी. सी. 461 :
भारतीय रिज़र्व बैंक और एक अन्य बनाम **सेसिल डेनिस सॉलमन और एक अन्य** ; 8,21

[2004] (2004) 4 एस. सी. सी. 412 :
यूको बैंक और अन्य बनाम **संवर मल** ; 23

[2001] (2001) 1 एस. सी. सी. 78 :
कन्हैयालाल विशनदास गिडवानी बनाम **अरुण दत्तारे मेहता** ; 18

[1996] 1996 की सिविल प्रकीर्ण याचिका सं. 10157 जिसका विनिश्चय तारीख 8 जनवरी, 2010 को किया गया :
जे. एम. सिंह बनाम **भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य** ; 8,24

[1992] (1992) 4 एस. सी. सी. 363 :
आय-कर आयुक्त बनाम **सन इंजीनियरिंग वर्क्स (प्रा.) लिमिटेड** ; 20

[1990] ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1808 :
जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 7,21

[1984] (1984) 3 एस. सी. सी. 369 :
सुधीर चन्द्र सरकार बनाम **टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य** ; 32

[1969] (1969) 3 ऑल इंग्लैंड ला रिपोर्ट्स 257 :
पिन्नर बनाम **एवरेट** ; 18

[1955] [1955] 2 एस. सी. आर. 842 :
सदस्य, राजस्व बोर्ड बनाम **आर्थर पॉल बेंथल** ; 18

[1852] (1852) 21 एल. जे. चांसरी 405 :
ग्रंडी बनाम **पिन्नीगर** । 18

सिविल अपीली अधिकारिता : 2015 की सिविल अपील सं. 14739. (इसके साथ 2019 की सिविल अपील सं. 3138-3141 [2016 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 5716-5719 से उद्भूत] और 2016 की सिविल अपील सं. 10904 भी सुनी गईं ।)

1997 की एकल न्यायपीठ सिविल रिट याचिका सं. 6026 में 2008 की खंड न्यायपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) सं. 172 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर न्यायपीठ के तारीख 16 अगस्त, 2011 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

उपस्थित होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री पी. पी. मल्होत्रा, ज्येष्ठ अधिवक्ता, डी. एन. गोवर्धन, सुश्री गौरी गोवर्धन, सुश्री पल्लवी चोपड़ा, सुश्री प्रतिभा जैन, पुनीत जैन, आर. के. पाठक, अभिवन गुप्ता, विकास चन्द्र, सुश्री लक्ष्मी, सुश्री क्रिस्टी जैन, मनीष कुमार, सुश्री शेहला चौधरी, मो. अनास चौधरी, सुब्रत, अंसार अहमद चौधरी, टी. वी. रत्नम मोहित पॉल, विनीत मल्होत्रा, विशाल गोहरी, शुभेन्द्र और ओ. घोष

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने दिया ।

न्या. कौल - कर्मचारियों ने सेवा से त्यागपत्र दिया । हमारा संबंध भारतीय जीवन बीमा निगम के एक कर्मचारी; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एक कर्मचारी और आन्ध्र बैंक के कर्मचारियों के एक समूह से है । इन कर्मचारियों ने तब त्यागपत्र दिया जब इन प्रश्नगत संस्थाओं की बाबत पेंशन स्कीमें प्रवृत्त नहीं थीं । पेंशन स्कीमें बाद में

किन्तु भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुईं । अतः, जो प्रश्न उद्भूत हुआ वह यह था कि वे कर्मचारी, जिन्होंने उस तारीख के बाद, जिससे पेंशन स्कीमें लागू की गई थीं, किन्तु उस तारीख से पूर्व, जिसको स्कीमें अधिसूचित की गई थीं, सेवा से त्यागपत्र दिया था, प्रश्नगत पेंशन स्कीमों के फायदे के हकदार होंगे अथवा नहीं । इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस न्यायालय के न्यायिक दृष्टिकोणों में भिन्नता है और इस मामले की परीक्षा एक बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा की जानी आवश्यक है । 2015 की सिविल अपील सं. 14739 में निर्देश आदेश पारित किया गया था और इस प्रकार यह मामला हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

2. हम मुख्य संविवाद के अवधारण के लिए सुसंगत मामले की बाबत तथ्यात्मक ढांचे को उपवर्णित करना उपयुक्त समझते हैं और इसके पश्चात् हम विधिक सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे और तद्नुसार संसक्त मामलों को विनिश्चित करेंगे ।

2015 की सिविल अपील सं. 14739

3. इस अपील में प्रत्यर्थी श्री लाल मीणा भारतीय जीवन बीमा निगम का एक कर्मचारी था । उसने 20 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूरी कर लेने पर तारीख 15 जून, 1990 को भारतीय जीवन बीमा निगम को एक पत्र संबोधित किया जिसमें उसने अपनी पत्नी और स्वयं के खराब स्वास्थ्य की चिन्ता व्यक्त करते हुए यह संभावना व्यक्त की कि वह इस कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की ईप्सा कर सकता है । इस पत्र का कोई उत्तर प्राप्त न होने पर श्री लाल मीणा ने उक्त पत्र के बाद तारीख 18 जून, 1990 को इसी पहलू को दोहराते हुए एक अन्य पत्र भेजा । पुनः इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया । अंततः, उसने तारीख 14 जुलाई, 1990 को त्यागपत्र दे दिया और भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) विनियम [लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया (स्टाफ) रेग्युलेशन्स], 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'कर्मचारिवृन्द विनियम' कहा गया है) के विनियम 18 के अधीन तीन मास की आज्ञापक सूचना को अधित्यक्त करते हुए उसे तुरंत प्रभावी करने की ईप्सा की । भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा त्यागपत्र की स्वीकृति तारीख 11 जनवरी, 1991 के पत्र द्वारा संसूचित की गई थी और वह कानूनी सूचना की अवधि को अधित्यक्त करते हुए तारीख 14 जुलाई, 1990 से प्रभावी होना था ।

4. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस कालावधि के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्त की ऐसी कोई स्कीम या उपबंध नहीं था जो श्री लाल मीणा को लागू होता हो । श्री लाल मीणा को उन सभी देयों का संदाय कर दिया गया था जो उसे अनुज्ञेय थे । सुंसगत समय पर प्रवर्तनशील लाभार्थी स्कीम कर्मचारिवृन्द विनियमों के विनियम 76 के अधीन अभिदायी भविष्य निधि स्कीम थी ।

5. इसके पांच वर्ष पश्चात्, तारीख 28 जून, 1995 को भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम [लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एम्पलायज़) रूल्स], 1995 (जिन्हें संक्षेप में 'पेंशन नियम' कहा गया है) प्राख्यापित किए गए थे किन्तु इन्हें, जब तक इसके विरुद्ध अभिव्यक्ततः उपबंध न किया गया हो, भूतलक्षी प्रभाव से तारीख 1 नवम्बर, 1993 से प्रवर्तन में लाया गया था । पेंशन नियमों के नियम 3(1)(क) की उपयोज्यता ने इस स्कीम को उन सभी कर्मचारियों को लागू कर दिया जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् भारतीय जीवन बीमा निगम में सेवारत थे किन्तु जो 1 नवम्बर, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं बशर्ते वे कर्मचारी पेंशन नियमों में उपबंधित अन्य शर्तों को पूरा करते हों ।

6. श्री लाल मीणा तारीख 1 जनवरी, 1986 के पश्चात् सेवा में थे । तथापि, उसने 14 जुलाई, 1990 से त्यागपत्र दे दिया था । यदि उसने त्यागपत्र न दिया होता तो वह सेवा में बना रहता और वर्ष 2000 में किसी समय सेवानिवृत्त हो गया होता । उसने अपने त्यागपत्र से पूर्व स्वयं के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रस्थापना करते हुए एक प्रयत्न भी किया था । अतः, श्री लाल मीणा का यह मत था कि पेंशन नियम उसे लागू किए जाने चाहिएं और उसने तद्नुसार एक अनुरोध किया तथापि, भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस आधार पर तारीख 6 अप्रैल, 1996 को इससे इनकार कर दिया कि उसने सेवा से त्यागपत्र दिया था । इस प्रकार, उसने तारीख 28 अगस्त, 1997 के पत्र द्वारा मांग सूचना जारी की और उसका भी वही परिणाम निकला और अंततः उसने वर्ष 1997 में ही राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका फाइल की, जिसका विनिश्चय, उस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 8 सितम्बर, 2006 के निर्णय द्वारा उसके पक्ष में किया गया था ।

7. विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय की मुख्य बात श्री लाल मीणा द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किया गया अनुरोध है और

यह कि कर्मचारिवृन्द विनियमों के अधीन उस संबंध में किसी उपबंध के अभाव के कारण ही उसे त्यागपत्र देना पड़ा था । इस मत का **जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा समर्थन लेने की ईप्सा की गई जिसमें यह राय व्यक्त की गई है कि जहां कोई कर्मचारी स्वेच्छया अपना त्यागपत्र देता है वहां नियोजक द्वारा ऐसा त्यागपत्र मंजूर किए जाने के पश्चात् सेवा से पर्यवसान स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के प्रवर्ग में आएगा बशर्ते स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के अन्य सभी घटकों की पूर्ति होती हो । यह उल्लेखनीय है कि उस निर्णय के संविवाद की तथ्यात्मक रूपरेखा में, वास्तव में यह प्रश्न उद्भूत हुआ था कि किसी कर्मचारी द्वारा स्वेच्छया त्यागपत्र दिए जाने के परिणामस्वरूप उसकी सेवा के पर्यवसान की दशा में, ऐसा पर्यवसान उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6ढ के साथ पठित धारा 2(ध) के अर्थान्तर्गत छंटनी की कोटि में आएगा । उस अधिनियम की धारा 2(ध) के उपबंधों के अनुसार, 'छंटनी' की परिभाषा के अंतर्गत स्वेच्छया सेवानिवृत्ति का मामला अपवर्जित है । चूंकि कर्मचारी ने अपना त्यागपत्र स्वेच्छया दिया था और उसने उसके बाद छंटनी के कारण प्रतिकर का दावा किया था इसलिए इस न्यायालय ने उस मामले में कर्मचारी के विरुद्ध राय दी थी । राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिलिखित किया कि इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि श्री लाल मीणा ने अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी कर ली थी जिससे कि यदि यह स्कीम सुसंगत समय पर विद्यमान होती तो वह पेंशनिक फायदों का हकदार हो जाता ।

8. भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील की, तथापि, यह प्रयास भी असफल हो गया क्योंकि वह अपील तारीख 16 अगस्त, 2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी । **भारतीय रिज़र्व बैंक और एक अन्य** बनाम **सेसिल डेनिस सॉलमन और एक अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय और **जे. एम. सिंह** बनाम **भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य**[3] वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

---

[1] ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1808.

[2] (2004) 9 एस. सी. सी. 461.

[3] 1996 की सिविल प्रकीर्ण याचिका सं. 10157 जिसका विनिश्चय तारीख 8 जनवरी, 2010 को किया गया ।

की खंड न्यायपीठ के निर्णय पर आधारित भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिवाक् का खंडन कर दिया गया था ।

9. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इसके पश्चात् प्रस्तुत अपील फाइल की गई है, जिसमें निर्देश आदेश पारित किया गया था ।

10. निचले न्यायालयों के उस तर्काधार का, जिसका प्रत्यर्थी द्वारा इस अपील में समर्थन किया गया है और अपीलार्थी की ओर से इन्हीं आधारों पर दी गई उन दलीलों का, जिनका निचले न्यायालयों द्वारा खंडन किया गया था, मूल्यांकन करने की दृष्टि से, हम प्रथमतः उन पेंशन नियमों पर विचार करना आवश्यक समझते हैं, जो प्रवृत्त किए गए हैं ।

11. नियम 2 परिभाषा नियम है, जिसमें पेंशन नियमों में प्रयुक्त विभिन्न अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया है । सुसंगत नियम 2(ञ) निम्नलिखित रूप में है :-

> *"**2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -**
>
> * * * *
>
> (ञ) "कर्मचारी" से निगम की सेवा में स्थायी आधार पर पूर्णकालिक कार्य पर नियोजित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन नियमों का विकल्प अपनाता है और उसके द्वारा शासित होता है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कर्मचारी नहीं आता है जो इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है और जो अधिनियम के अधीन बनाए गए भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) विनियम, 1960 के विनियम 76 के उप-विनियम (2) के अनुसार

---

*अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :-

> **Definitions - In these rules, unless the context otherwise requires -**
>
> * * * *
>
> (j) "employee" means any person employed in the service of the Corporation on full-time work on permanent basis and who opts and is governed by these rules but does not include an employee retired before the commencement of these rules and who is drawing pension from the Pension Fund of the Oriental Government Security Life Assurance Company Limited in accordance with sub- regulation (2)

ओरियंटल गवर्नमेंट सिक्यूरिटी लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की पेंशन निधि से पेंशन प्राप्त कर रहा है;"

12. उपर्युक्त खंड के पठन से यह दर्शित होता है कि ऐसे किसी कर्मचारी को विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित किया गया है जिसके मामले में पेंशन नियमों के प्रारंभ के पूर्व 'सेवानिवृत्त' होने और कर्मचारिवृन्द विनियमों के अधीन पेंशन लेने संबंधी दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं । नियम 2(ध) निम्नलिखित रूप में है :-

*"**2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -**

* * * *

(ध) "सेवानिवृत्ति" से -

(i) अधिनियम के अधीन बनाए गए भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) विनियम, 1960 के विनियम 19 के उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) या उप-विनियम (3) अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग III और वर्ग IV कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 के नियम 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सेवानिवृत्ति;

(ii) इन नियमों के नियम 31 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति;

---

of regulation 76 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960, made under the Act;"

"2. Definitions - In these rules unless the context otherwise requires -

* * * *

(s) "retirement" means, -

(i) retirement in accordance with the provisions contained in sub-regulation (1) or sub-regulation (2) or sub-regulation (3) of regulation 19 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960 and rule 14 of the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 made under the Act;

(ii) voluntary retirement in accordance with the provisions contained in rule 31 of these rules;"

अभिप्रेत है;"

13. इस प्रकार 'सेवानिवृत्ति' की परिभाषा में दो संभाव्यताएं परिकल्पित हैं - प्रथमतः वह व्यक्ति, जो कर्मचारिवृन्द विनियमों के निबंधनानुसार सेवानिवृत्त हो चुका है; और द्वितीयतः स्वयं पेंशन नियमों के उपबंधों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ।

14. एक अन्य सुसंगत उपबंध, जो कि ध्यान दिए जाने योग्य है, वह पेंशन नियमों का नियम 23 है, जो कि निम्नलिखित रूप में है :-

> *"**23. सेवा का समपहण** - किसी कर्मचारी के निगम की सेवा से त्यागपत्र देने या पदच्युत हो जाने या हटाए जाने या पर्यवसान या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से उसकी पिछली संपूर्ण सेवा का समपहरण हो जाएगा और परिणामस्वरूप वह पेंशनिक फायदों के लिए अर्हित नहीं होगा ।"

15. इस प्रकार, उपर्युक्त नियमों से यह दर्शित होता है कि त्यागपत्र देने से पिछली संपूर्ण सेवा का समपहरण हो जाता है और परिणामस्वरूप वह पेंशनिक फायदों के लिए अर्हित नहीं होगा । नियम 31 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन' के संबंध में है, जो कि 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर अनुज्ञेय है और इसके लिए लिखित में कम से कम 90 दिन की सूचना दी जानी होगी ।

16. अतः, जो विवादास्पद प्रश्न विचारार्थ उद्भूत होता है वह प्रस्तुत तथ्यात्मक परिदृश्य में इन नियमों को भूतलक्षी रूप से लागू किए जाने के प्रभाव के संबंध में है । यदि पेंशन नियम केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू हुए होते तो इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि श्री लाल मीणा दावा फाइल करने का साहस नहीं कर सकता था । इस पहलू का मूल्यांकन करने की दृष्टि से, उस विस्तार का, जहां तक भूतलक्षिता लागू होती है, इन पेंशन नियमों के आधार पर ही विश्लेषण करना होगा, जो कि अभिदायी प्रकृति के भी है ।

---

*"23. Forfeiture of service - Resignation or dismissal or removal or termination or compulsory retirement of an employee from the service of the Corporation shall entail forfeiture of his entire past service and consequently shall not qualify for pensionary benefits."

17. अविवादित तथ्य यह है कि उस तारीख को जब श्री लाल मीणा अपने मन में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विचार बना रहा था तब लागू कर्मचारिवृन्द विनियमों में ऐसा कोई उपबंध नहीं था । इस प्रकार, उसकी बारंबार भेजी गई संसूचनाओं का उस तारीख को कोई विधिक आधार नहीं था, जिनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने संबंधी उसकी सोच को उपवर्णित किया गया था । इन्हीं परिस्थितियों में ही जब उसने ऐसी संकल्पना की बात की जो अस्तित्व में नहीं थी तो उसके पत्रों का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जा रहा था । श्री लाल मीणा ने, इस पहलू को जानते हुए और भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा छोड़ने की इच्छा रखते हुए उस कार्यवाही का अवलंब लिया जो कि उस तारीख को अनुज्ञेय थी, अर्थात्, 'त्यागपत्र' देना । कर्मचारिवृन्द विनियमों की धारा 3 का शीर्षक 'सेवा-समाप्ति' है । सुसंगत विनियम 18 से पूर्व प्रयुक्त अन्य अभिव्यक्ति 'सेवा का अवधारण' है । स्वयं विनियम में 'सेवा छोड़ना या बन्द करना' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है । इन अभिव्यक्तियों को चाहे किसी भी रीति में समझा जाए, विधिक और बोलचाल की भाषा में वे प्रथमतः ऐसे कर्मचारी की ओर से, जो नियोजक के पास अपनी सेवा में बने रहने का इच्छुक नहीं है, की गई एकपक्षीय कार्यवाही और उसके पश्चात् उसे नियोजक द्वारा, सूचना की ऐसी अवधि के अधीन रहते हुए स्वीकार करने की कोटि में आती हैं, जो कि वर्तमान तथ्यों में, कर्मचारी के अनुरोध पर अधित्यक्त कर दी गई थी । इस प्रकार, सुसंगत तारीख को उसने उस तारीख को यथा-प्रचलित निबंधनों और शर्तों के आधार पर स्वयं को अपीलार्थी की सेवा से विलग करने का सुविचारित विनिश्चय लिया । हमारी राय में, इसके बाद पांच वर्षों तक क्या कुछ हुआ उसका ऐसे किसी फायदे पर कोई असर नहीं होगा जो कि ऐसे कर्मचारी को प्रत्यर्थी के रूप में प्रोद्भूत हो सकता है, उस सीमा तक के सिवाय जहां तक वह उसे विनिर्दिष्ट रूप से लागू किया गया है ।

18. यह कहना अतिसामान्य है कि कानूनी उपबंधों का, जब तक उनकी शब्दावली में कोई संदिग्धता न हो, स्पष्ट अर्थान्वयन किया जाना चाहिए । **ग्रंडी** बनाम **पिन्नीगर**[1] और **पिन्नर** बनाम **एवरेट**[2] वाले मामलों

---

[1] (1852) 21 एल. जे. चांसरी 405.

[2] (1969) 3 ऑल इंग्लैंड ला रिपोर्ट्स 257.

में यह कहा गया है :-

> "किसी कानून में किसी शब्द या वाक्यांश के अर्थ का अवधारण करने के लिए सदैव प्रथम प्रश्न यह किया जाना होता है कि उस शब्द या वाक्यांश का कानून में उसके संदर्भ में स्वाभाविक या सामान्य अर्थ क्या है । जब उस अर्थ के फलस्वरूप कोई ऐसा परिणाम निकलता है जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि विधान-मंडल का आशय वही था केवल तभी उस शब्द या वाक्यांश के किसी अन्य संभावित अर्थ की तलाश करना उचित है ।"

प्रश्नगत पेंशन नियमों में ऐसी कोई संदिग्धता नहीं है जिसके कारण ऐसा कोई अर्थान्वयन किए जाने की आवश्यकता है जो कि उसके साधारण शब्दों से भिन्न है । पेंशन नियमों को तारीख 1 नवम्बर, 1993 से भूतलक्षी तारीख से प्रवर्तन में लाया गया है । इस प्रकार, तर्कसम्मत रूप से वे ऐसे सभी कर्मचारियों को लागू होंगे जो 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवा में थे । प्रत्यर्थी ऐसा व्यक्ति नहीं था । पेंशन नियमों में केवल एक और घुमाव है । पेंशन नियमों का नियम 3(1)(क) इन पेंशन नियमों को ऐसे कर्मचारियों को भी लागू होने के संबंध में है, जो तारीख 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् और तारीख 1 नवम्बर, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं । ऐसे कर्मचारियों के लिए भी लिखित में इस विकल्प का प्रयोग किए जाने की अपेक्षा है कि वे अधिसूचित तारीख से 120 दिन की कालावधि के भीतर भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन निधि के सदस्य बने और उसके पश्चात् 60 दिन के भीतर भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिदाय की संपूर्ण रकम का प्रतिदाय, उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, भविष्य निधि में करें । ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कर्मचारी इस कालावधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं उन्होंने तत्समय विद्यमान कर्मचारिवृन्द विनियमों के अधीन अभिदायी भविष्य निधि फायदे का उपभोग किया था और नए पेंशन नियमों को उन्हें लागू करने के लिए उन्हें उन विनियमों के अधीन लिए गए फायदों का उस सीमा तक, जहां तक उनका अभिदाय भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया था, त्याग करना होगा । नियम

3(1)(क) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति स्पष्ट और असंदिग्ध है - 'सेवानिवृत्त' । इसमें नियोजक-कर्मचारी के संबंध का अवधारण करने के लिए किसी अनुकल्पी अभिव्यक्ति का भी प्रयोग नहीं किया गया है, जैसा 'त्यागपत्र' । इन्हीं नियमों में, 'त्यागपत्र', 'पदच्युति' 'हटाया जाना' जैसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है और पेंशन नियमों के नियम 23 में इनका प्रयोग अधिक विनिर्दिष्ट रूप से किया गया है । जब एक ही नियमों में भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियों का प्रयोग भिन्न-भिन्न संदर्भों में किया जाता है तब उन सभी अभिव्यक्तियों का एक ही अर्थ नहीं लगाया जा सकता है । **सदस्य, राजस्व बोर्ड** बनाम **आर्थर पॉल बेंथल**[1] और **कन्हैयालाल विशनदास गिडवानी** बनाम **अरुण दत्तारे मेहता**[2] वाले मामलों में यह कहा गया है :-

> "यह सही है कि जब एक ही कानून में दो भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब प्रथमदृष्ट्या यह अर्थान्वयन किया जाना होता है कि इन दो भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग अवश्य ही भिन्न-भिन्न अर्थों में किया गया होगा ।"

19. सबसे अधिक तात्विक बात यह है कि इस मामले में कर्मचारी ने त्यागपत्र दे दिया था । जब पेंशन नियम लागू होते हैं और कोई कर्मचारी त्यागपत्र दे देता है तब उसका परिणाम यह होता है कि पेंशन नियमों के नियम 23 के अधीन सेवा का समपहरण हो जाता है । हमारी राय में, पेंशन नियमों को प्रत्यर्थी को लागू करने का प्रयास करना अपने आप में विफल करने वाला तर्क देना होगा । चूंकि, मान लीजिए, पेंशन नियम लागू होते थे और प्रत्यर्थी जैसा कर्मचारी सेवा में था और उसने त्यागपत्र देने की ईप्सा की तो उसकी पिछली संपूर्ण सेवा समपहृत हो जाएगी और परिणामस्वरूप वह पेंशनिक फायदों के लिए अर्हित नहीं होगा । इससे अन्यथा अभिनिर्धारित करने का अर्थ यह होगा कि नियमों के लागू होने के दौरान त्यागपत्र देने वाला कर्मचारी पेंशनिक फायदों से वंचित हो जाएगा, जबकि ऐसे कर्मचारी को जो तब त्यागपत्र देता है जब ये नियम अस्तित्व में ही नहीं थे, इन नियमों का फायदा दे दिया

---

[1] [1955] 2 एस. सी. आर. 842.

[2] (2001) 1 एस. सी. सी. 78.

जाएगा ।

20. अब इस संबंध में न्यायिक निर्णयों पर विचार-विमर्श करते हुए, हमारा यह मत है कि किसी निर्णय का पठन उसकी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के प्रतिनिर्देश करके उसमें अधिकथित विधि के लिए पढ़ा जाना होता है । यहां-वहां आने वाली पंक्तियों या वाक्यांशों को उस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से असंबद्ध रहते हुए, जिसके संदर्भ में वे मताभिव्यक्तियां की गई थीं आत्यांतिक निबंधनों में नहीं पढ़ा जाना चाहिए । **आय-कर आयुक्त** बनाम **सन इंजीनियरिंग वर्क्स (प्रा.) लिमिटेड**[1] वाला मामला देखिए ।

21. अतः, **जे. के. स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर** (उपर्युक्त) वाले निर्णय पर उस संदर्भ में विचार किया जाना है । उस मामले में मुद्दा क्या था ? निर्णय के प्रथम पैरा में ही उस पहलू को स्पष्ट किया गया है । इस मामले में इस बात की परीक्षा की जा रही थी कि क्या लागू अधिनियम के उपबंधों के अर्थान्तर्गत नियोजक-कर्मचारी के संबंध का अवधारण छंटनी की कोटि में आता है । हमने इसमें इसके पूर्व उस मामले के तथ्यों के प्रतिनिर्देश करते समय इस बात की पहले ही अवेक्षा की है कि प्रश्नगत कर्मचारी ने आवश्यकता से अधिक चालाक बनने की कोशिश की । उसने पहले त्यागपत्र दे दिया । उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया और उसे पारिणामिक धनीय फायदे प्राप्त हो गए । इसके पश्चात्, उसने अपने त्यागपत्र को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6ढ के साथ पठित धारा 2(ध) के अधीन 'छंटनी' के अर्थान्तर्गत लाने की ईप्सा की । 'छंटनी' की परिभाषा में ही स्पष्ट रूप से कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को अपवर्जित किया गया है । चूंकि कर्मचारी ने स्वेच्छया त्यागपत्र दिया था इसलिए नियोजक और कर्मचारी के संबंध की समाप्ति 'छंटनी' के अर्थान्तर्गत नहीं आ सकती थी । इस न्यायालय ने त्यागपत्र और छंटनी के बीच अंतर का विश्लेषण किया । त्यागपत्र स्वैच्छिक था । इसी संदर्भ में यह मत व्यक्त किया गया था कि स्वेच्छया त्यागपत्र देना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति न कि छंटनी के समरूप होगा । इससे कम और अधिक

---

[1] (1992) 4 एस. सी. सी. 363.

कुछ भी नहीं । अतः, हमारी राय में, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय, विद्वान् एकल न्यायाधीश और खंड न्यायपीठ दोनों ने इस निर्णय में उस विधिक प्रतिपादना के अलावा, जिसे प्रतिपादित करने की ईप्सा की गई है, अधिक अभिप्राय लगाया गया है । हमारे समक्ष वाले संविवाद के संदर्भ में, सिद्धांतों को **भारतीय रिज़र्व बैंक और एक अन्य** बनाम **सेसिल डेनिस सॉलमन और एक अन्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय में भलीभांति प्रतिपादित किया गया है । कर्मचारियों ने समरूप तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में वर्ष 1988 में किसी समय त्यागपत्र दिया था । भारतीय रिज़र्व बैंक पेंशन विनियम वर्ष 1990 में प्रवर्तन में आए । उन कर्मचारियों ने, जिन्होंने इससे पूर्व त्यागपत्र दे दिया था, इन पेंशन विनियमों को उन्हें लागू करने की ईप्सा की । इन उपबंधों में भी, त्यागपत्र देने पर या पदच्युति या सेवा के पर्यवसान पर सेवा के समपहरण से संबंधित समरूप खंड था । सुसंगत मताभिव्यक्तियां निम्नलिखित रूप में हैं :-

> "10. सेवा विधिशास्त्र में, "अधिवार्षिकी", "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति", "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" और "त्यागपत्र" से भिन्न-भिन्न अर्थ द्योतित होते हैं । स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र में कर्मचारी की ओर से सेवा छोड़ने संबंधी स्वेच्छा कार्य अंतर्वलित होता है । यद्यपि इन दोनों में अंतर्वलित कार्यवाहियां स्वैच्छिक होती हैं तथापि, ये भिन्न-भिन्न रूप में प्रवर्तित होती हैं । इनमें एक मूलभूत विभेद यह है कि त्यागपत्र की दशा में वह किसी भी समय दिया जा सकता है किन्तु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की दशा में, केवल विहित अवधि की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् ही इसकी ईप्सा की जा सकती है । दूसरा मूलभूत अंतर यह है कि पूर्ववर्ती की दशा में, सामान्यतः सेवानिवृत्ति संबंधी फायदों से वंचित रखा जाता है किन्तु पश्चात्वर्ती की दशा में उनसे वंचित नहीं किया जाता है । पूर्ववर्ती की दशा में, अनुज्ञा या सूचना आवश्यक नहीं है जबकि पश्चात्वर्ती की दशा में संबद्ध नियोजक की अनुज्ञा एक अपेक्षित शर्त है । यद्यपि त्यागपत्र एक द्विपक्षीय संकल्पना है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर वह प्रभावी हो जाता है तथापि, इसके प्रतिकूल अभिव्यक्त उपबंध करके

साधारण नियम को निकाल दिया जा सकता है । पंजाब नेशनल बैंक **बनाम** पी. के. मित्तल (ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1083) वाले मामले में पंजाब नेशनल बैंक विनियमों के विनियम 20(2) का निर्वचन करने पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि त्यागपत्र सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से स्वतः ही प्रभावी हो जाएगा क्योंकि नियोजक द्वारा त्यागपत्र को स्वीकार या नामंजूर किए जाने के बारे में कोई उपबंध नहीं था । भारत संघ **बनाम** गोपाल चन्द्र मिश्रा (1978) 2 एस. सी. सी. 301 वाले मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 217 को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उसे अपने पद से त्यागपत्र देने का एकपक्षीय अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त है और उसका त्यागपत्र उस तारीख से, जो वह अपनी इच्छानुसार चुनता है, प्रभावी हो जाता है । किन्तु जहां ऐसा कोई उपबंध है, जिसके द्वारा नियोजक को कतिपय परिस्थितियों में, उदाहरणार्थ, अनुशासनिक कार्यवाहियों का लंबित होना, त्यागपत्र को मंजूर न करने के लिए सशक्त किया गया है वहां नियोजक उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

11. इसके प्रतिकूल, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा दिनेश चन्द्र संगमा **बनाम** असम राज्य (1977) 4 एस. सी. सी. 441 वाले मामले में उल्लेख किया गया है, जबकि सरकार के पास किसी सरकारी सेवक को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी अनिवार्यतः सेवानिवृत्त करने का उसका अधिकार आरक्षित रहता है किन्तु सरकारी सेवक के पास भी अपनी सेवा से स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने का तत्स्थानी अधिकार होता है । स्वैच्छिक सेवनिवृत्ति कानूनी उपबंध द्वारा सृजित सेवा की एक शर्त है जबकि त्यागपत्र, नियोजक-कर्मचारी के किसी संबंध का एक विवक्षित निबंधन है ।"

22. हमारे मतानुसार, उपर्युक्त सिद्धांत प्रस्तुत मामले के तथ्यों को भी समान रूप से लागू होते हैं और सुसंगत विधिक सिद्धांत यह है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एक ऐसी धारणा है जिसका अभिप्राय उन सेवा-शर्तों से लगाया जाता है जो किसी कानूनी उपबंध द्वारा सृजित की जाती

हैं, जबकि त्यागपत्र नियोजक-कर्मचारी के संबंध का एकपक्षीय अवधारण है, जिसके द्वारा कोई कर्मचारी बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता है ।

23. **यूको बैंक और अन्य** बनाम **संवर मल**[1] वाले मामले में, पुनः समरूप पेंशन स्कीम के मामले में, निम्न प्रकार मताभिव्यक्तियां की गई थीं :-

> "6. संक्षेप में, विनियम में सन्निविष्ट पेंशन स्कीम एक स्वावलंबी स्कीम है । यह अपने आप में एक संहिता है । बैंक पेंशन निधि में अभिदायकर्ता है । बैंक, विनियमों के अधीन लाभार्थियों को देय संदाय करने के लिए न्यासियों के पास निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है । इसके लाभार्थी, विनियम 3 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी हैं । इसी दृष्टिकोण से ऊपर उद्धृत विनियम 22 का अर्थान्वयन किया जाना है । विनियम 22 सेवा के समपहरण के संबंध में है । विनियम 22(1) में यह कहा गया है कि किसी कर्मचारी द्वारा बैंक की सेवा से त्यागपत्र देना, उसकी पदच्युति, उसे हटाया जाना या उसकी सेवा-समाप्ति से उसकी पिछली संपूर्ण सेवा का समपहरण हो जाता है और परिणामस्वरूप वह पेंशनिक फायदों के लिए अर्हित नहीं होगा । दूसरे शब्दों में, पेंशन स्कीम में ऐसे पदच्युत कर्मचारियों और उन कर्मचारियों को, जिन्होंने निधि की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, निरर्हित किया गया है । इसके कारण की तलाश करना कठिन नहीं है । किसी स्व-वित्तपोषण स्कीम में, एक पृथक् निधि नियत की जाती है क्योंकि स्कीम बजटीय सहायता पर आधारित नहीं होती है । यह आवश्यक रूप से निधि के सदस्यों से प्राप्त पर्याप्त अभिदायों पर आधारित होती है । इसी कारण, विनियम 11 के अधीन, प्रत्येक बैंक से यह अपेक्षा की गई है कि वह समय-समय पर किसी बीमांकक द्वारा निधि की वित्तीय दशा के बारे में अन्वेषण कराए और कमियों के आधार पर बैंक से यह अपेक्षा की गई है कि वह निधि में वार्षिक अभिदाय करे । विनियम 12 निधि के निवेश के

---

[1] (2004) 4 एस. सी. सी. 412.

संबंध में है जबकि विनियम 13 निधि में से संदाय किए जाने के संबंध में है । सेवीनिवृत्ति की दशा में, चाहे वह स्वैच्छिक हो या अधिवार्षिकी पर, सेवानिवृत्ति और भविष्य निधि नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति संबंधी फायदों के बीच संबंध है । सेवानिवृत्ति अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् ही अनुज्ञात की जाती है जबकि त्यागपत्र की दशा में ऐसा नहीं है । जब ऐसा सेवानिवृत्त व्यक्ति स्व-वित्तपोषण पेंशन स्कीम के लिए विकल्प अपनाता है तब वह भविष्य निधि नियमों के अधीन अर्हक वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् उसके द्वारा उपार्जित संचित अभिदाय कमाता है जबकि ऐसे व्यक्ति के भविष्य निधि खाते में, जो त्यागपत्र देता है, पर्याप्त जमा अतिशेष (अर्थात्, बैंक का अभिदाय) नहीं हो सकता है और इसलिए विनियम 3 ऐसे कर्मचारियों को लागू नहीं होता है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है । इसी प्रकार, पदच्युत कर्मचारी की दशा में, उसके सेवानिवृत्ति संबंधी फायदे समपहृत हो सकते हैं और परिणामस्वरूप स्कीम के निर्माताओं ने विनियम 22 द्वारा ऐसे सेवानिवृत्त (अर्थात् त्यागपत्र देने वाले) तथा पदच्युत कर्मचारियों को इससे बाहर रखा है । इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अधीन लाभार्थियों को संदेय पेंशन, निवेशों से प्रोद्भूत होने वाली आय पर निर्भर करेगी और जब तक पर्याप्त कोष नहीं होगा तब तक यह स्कीम काम नहीं कर सकेगी और इसलिए विनियम 22 में पदच्युत कर्मचारियों और उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, एक निरर्हता विहित की गई है । अंततः, जैसा कि ऊपर कथन किया गया है, इस स्कीम में अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के बदले दूसरे सेवानिवृत्ति फायदे के रूप में पेंशन अनुध्यात की गई है । अतः, उक्त स्कीम भविष्य निधि की पूर्ववर्ती स्कीम के क्रम में नहीं थी । चूंकि वह नई स्कीम थी, इसलिए वह पदच्युत कर्मचारियों और उन कर्मचारियों को, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, उससे बाहर रखने का हकदार था ।

7. स्कीम के उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, अब हम दोनों पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों पर विचार करते हैं ।

अपीलार्थी बैंक की ओर से, अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया गया था कि विनियम 22 के अधीन, ऐसे प्रवर्ग के कर्मचारी, जिन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है और जिन्हें पदच्युत कर दिया गया है या सेवा से हटा दिया गया है, पेंशन के हकदार नहीं हैं, यह कि पेंशन स्कीम में एक पृथक् निधि का गठन किया गया है जो कि स्व-वित्तपोषण के सिद्धांतों द्वारा विनियमित होगी, यह कि पेंशन स्कीम के प्रारंभ से पूर्व भविष्य निधि स्कीम विद्यमान थी और प्रस्तुत स्कीम द्वारा कतिपय वर्गों के ऐसे कर्मचारियों को, जो निधि के सदस्य/लाभार्थी बनने के लिए हकदार थे, सेवानिवृत्ति संबंधी दूसरा फायदा प्रदान किया गया है, यह कि इस निधि की सदस्यता पेंशन स्कीम के अधीन अर्हक सेवा पर निर्भर नहीं करती थी, यह कि वित्तीय विवक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, मुख्यतः सेवानिवृत्त कर्मचारी विरचित स्कीम के अंतर्गत आते हैं क्योंकि सेवानिवृत्ति में अधिक वर्षों तक सेवा करने की पूर्व-कल्पना की गई है, यह कि त्यागपत्र की दशा में, कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति के अगले दिन ही त्यागपत्र दे सकता है जबकि सेवानिवृत्ति की दशा में, कर्मचारी से कतिपय वर्षों की सेवा पूरी करने की अपेक्षा होती है और परिणामस्वरूप, यह स्कीम अपने आप में एक पृथक् संहिता थी, यह कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के वाद को डिक्री करने में प्रत्यक्ष त्रुटि कारित की है चूंकि उसने उक्त स्कीम द्वारा अनुध्यात सुसंगत कारकों पर विचार नहीं किया है और यह कि पेंशन स्कीम भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन के बीच तारीख 29 अक्तूबर, 1993 को हुए समझौते के निबंधनानुसार पुरःस्थापित की गई थी और इस समझौते में ऐसे कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है या जिन्हें सेवा से पदच्युत किया गया है/हटाया गया है ।

* * * *

9. हमें इन अपीलों में सार प्रतीत होता है । बोलचाल की भाषा में "त्यागपत्र" और "सेवानिवृत्ति" के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं । कोई

कर्मचारी किसी भी समय, अपनी नियुक्ति के दूसरे दिन ही त्यागपत्र दे सकता है किन्तु सेवानिवृत्ति की दशा में, वह अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के पश्चात् ही सेवानिवृत्त होता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की दशा में, अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् ही सेवानिवृत्त होता है । त्यागपत्र और सेवानिवृत्ति का प्रभाव, जहां तक नियोजन से विच्छेद का संबंध है, दोनों में एकसमान है किन्तु सेवा विधिशास्त्र में दोनों अभिव्यक्तियों का अर्थ भिन्न-भिन्न लगाया जाता है । विनियमों के अधीन, "त्यागपत्र" और "सेवानिवृत्ति" अभिव्यक्तियों का प्रयोग भिन्न-भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है और उनके भिन्न-भिन्न अर्थ हैं । प्रस्तुत पेंशन स्कीम बीमांकिक गणना पर आधारित है; यह एक स्व-वित्तपोषण स्कीम है, जो कि बजटीय सहायता पर निर्भर नहीं है और तद्नुसार यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता गठित करती है । इस स्कीम में आवश्यक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया है क्योंकि उनके भविष्य निधि खाते में जमा अतिशेष उन कर्मचारियों की तुलना में अधिक होता है, जिन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है । इसके अलावा, त्यागपत्र देने से मालिक और सेवक का संबंध पूर्णतः समाप्त हो जाता है जबकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में, पिछली सेवा को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति संबंधी फायदों के अनुदान के प्रयोजनों के लिए वह संबंध बना रहता है । इसी प्रकार, त्यागपत्र का मंजूर किया जाना नियोजक के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है जबकि सेवानिवृत्ति, बैंक द्वारा विरचित विनियमों/नियमों के निबंधनानुसार सेवा का पूरा हो जाना है । सेवा का कालावधि चाहे कितनी भी हो, त्यागपत्र दिया जा सकता है जबकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की दशा में, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति संबंधी फायदों के लिए अर्हक सेवा पूरी करनी होती है । इसके अतिरिक्त, त्यागपत्र देने तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने और उनकी मंजूरी के लिए भिन्न-भिन्न मानदंड और कसौटियां हैं । चूंकि पेंशन विनियमों में ऐसे कर्मचारी को, जिसने त्यागपत्र दिया है, पेंशन का दावा करने से निरर्हित किया गया है इसलिए प्रत्यर्थी निधि की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता है । हमारी राय में, विनियम 22 में ऐसे कर्मचारियों की, जिन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है और जिन्हें पदच्युत किया

गया है या सेवा से हटाया गया है, निरर्हता के लिए उपबंध किया गया है । अतः, हमें प्रत्यर्थी की ओर से दी गई इन दलीलों में कोई सार प्रतीत नहीं होता है कि विनियम 22 में कर्मचारियों के ऐसे वर्ग को बाहर रखकर एक मनमाना और अयुक्तियुक्त वर्गीकरण किया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है । हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसे भारतीय रिज़र्व बैंक **बनाम** सेसिल डेनिस सॉलमन और एक अन्य (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा समर्थन प्राप्त होता है । निर्णय को समाप्त करने से पूर्व, हम यह कथन कर सकते हैं कि विनियम 22, जैसा कि अभिकथित किया गया है, शास्तिक स्वरूप का नहीं है । इसके द्वारा केवल ऐसे कर्मचारी को, जिसने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है, निधि का सदस्य बनने से निर्हकित किया गया है । ऐसे कर्मचारियों ने अपने सेवानिवृत्ति संबंधी फायदे इससे पहले ही प्राप्त कर लिए हैं । पेंशन स्कीम में, जैसा कि ऊपर कथन किया गया है, सेवानिवृत्ति संबंधी दूसरे फायदे के लिए उपबंध है । अतः, ऐसे कर्मचारियों पर, जैसा कि अभिकथित किया गया है, शास्ति अधिरोपित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । पेंशन स्कीम, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को निवेश करने के लिए एक अवसर प्रदान करती है । उन्हें अपनी बचत को ऐसे निबंधन और शर्त के रूप, जो कि अधिकांशतः एक पात्रता की कसौटी की प्रकृति की है, जमा करने का अवसर प्रदान किया जाता है, इस स्कीम में कर्मचारियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो इससे बाहर हैं, निर्हकित किया गया है ।"

24. हम केवल यह उल्लेख कर सकते हैं कि ऊपर चर्चित निर्णय में, सेवा के समपहरण के लिए विनियमों को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 पर आधारित तर्क का खंडन किया गया था । नए विनियमों के अधीन बनाए गए उपबंधों के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वे शास्ति की प्रकृति के नहीं हैं किन्तु सेवा से त्यागपत्र दिए जाने के फलस्वरूप निरर्हता की प्रकृति के हैं और इसलिए उन्हें निधि का सदस्य बनने से निर्हकित किया गया था । इसी क्रम में अन्य निर्णय भी हैं किन्तु उनमें कोई अतिरिक्त सिद्धांत अधिकथित नहीं किया गया है और इस प्रकार केवल उनका उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा, अर्थात्, **एम.**

आर. प्रभाकर और अन्य बनाम **केनरा बैंक और अन्य**[1] तथा **जे. एम. सिंह** बनाम **भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य** (उपर्युक्त) ।

25. पब्लिक सेक्टर के आदर्श नियोजक होने से संबंधित सिद्धांतों और पेंशन के उपबंध लाभप्रद विधान होने के बारे में कुछ मताभिव्यक्तियां की गई हैं । (**शशिकला देवी** बनाम **सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**[2] और **असगर इब्राहिम अमीन** बनाम **भारतीय जीवन बीमा निगम**[3] वाले मामले देखिए) तथापि, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि हमने ऊपर जो कुछ मत व्यक्त किया है, उसके अनुसार इस मुद्दे पर पूर्त सिद्धांत के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है । जब विधान-मंडल अपने विवेकानुसार, किसी विशिष्ट तारीख से और किन्हीं विशिष्ट निबंधनों और शर्तों के आधार पर पेंशन विनियमों के रूप में कतिपय फायदाप्रद उपबंध बनाता है तब उन पहलुओं को, जो उनमें अपवर्जित हैं, विवक्षा द्वारा सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । उन उपबंधों का पठन तब तक उस प्रकार करना होगा जिस प्रकार किया जाता है जब तक कि उनमें कुछ भ्रम न हो या वे कोई अन्य निर्वचन किए जाने योग्य न हों । हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि ऐसी स्कीमों को विरचित करते समय एक महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि वे अभिदायी प्रकृति की होती हैं और उनकी वित्तीय विवक्षाएं होती हैं । ऐसी वित्तीय विवक्षाएं अभिदाताओं और राज्य, दोनों के लिए होती हैं । अतः ऐसी फायदाप्रद स्कीमों को उन कर्मचारियों तक विस्तारित करने के लिए, जिनके लिए वे स्कीमें विधान-मंडल द्वारा बनाई ही नहीं गई थीं, उनकी निर्धारित रूपरेखा से परे विस्तारित करना अनुचित होगा ।

26. अतः हमारी यह राय है कि इस मामले में आक्षेपित आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है और वे अपास्त किए जाने योग्य हैं तथा परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई रिट याचिका खारिज की जाती है ।

2016 की सिविल अपील सं. 10904

---

[1] (2012) 9 एस. सी. सी. 671.

[2] (2014) 16 एस. सी. सी. 260.

[3] (2016) 13 एस. सी. सी. 797.

27. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में तारीख 13 अगस्त, 1960 को लिपिक के रूप में पदभार ग्रहण किया था और 32 वर्ष की लंबी अवधि तक सेवा की । तथापि, उसने "पारिवारिक कारणों" से तारीख 1 अक्तूबर, 1993 को अपना त्यागपत्र दिया किन्तु उसने भावी फायदों का दावा करने की दृष्टि से स्वप्रेरणा से उसे "समयपूर्व सेवानिवृत्ति" कहा । सूचना की अवधि को माफ करने की भी प्रार्थना की गई थी । त्यागपत्र तारीख 30 नवम्बर, 1993 को स्वीकार कर लिया गया था और उस त्यागपत्र को उसी दिन से प्रभावी किया गया था । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि जिस समय अपीलार्थी ने त्यागपत्र दिया, उस समय वह साधारण बीमा (अधिकारियों और विकास कर्मचारिवृन्द की सेवा-समाप्ति, अधिवार्षिकी और सेवानिवृत्ति) स्कीम [जनरल इंश्योरेंस (टर्मिनेशन, सुपरनुएशन एंड रिटायरमेंट ऑफ आफिसर्स एंड डेवलपमेंट स्टाफ) स्कीम], 1976 (जिसे संक्षेप में '1976 की स्कीम' कहा गया है) द्वारा शासित होता था, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कोई संकल्पना नहीं थी । तथापि, अपीलार्थी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के लगभग तीन वर्ष पश्चात्, 1976 की स्कीम में तारीख 1 नवम्बर, 1996 को खंड 4(4क) अंतःस्थापित करते हुए एक संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की धारणा पुरःस्थापित की गई थी । तथापि, इस खंड को भूतलक्षी रूप से तारीख 1 नवम्बर, 1993 से लागू किया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य उसे साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम [जनरल इंश्योरेंस (एम्पलायज़) पेंशन स्कीम], 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् '1995 की स्कीम' कहा गया है) के अनुरूप बनाना था ।

28. वर्ष 2011 में इस न्यायालय द्वारा **शील कुमार जैन** बनाम **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय द्वारा इस स्कीम के फायदे कतिपय कर्मचारियों को दिए गए थे । यह निर्णय तारीख 28 जुलाई, 2011 को सुनाया गया था । पुनः, लगभग दो वर्ष पश्चात्, अपीलार्थी ने उपर्युक्त निर्णय को अपने मामले का आधार बनाते हुए 1995 की स्कीम के आधार पर पेंशन की ईप्सा करते हुए तारीख 4 अप्रैल, 2013 को एक अभ्यावेदन किया । इस अभ्यावेदन का

---

[1] (2011) 12 एस. सी. सी. 197.

कोई जवाब नहीं दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की । बम्बई उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने तारीख 7 अप्रैल, 2016 के आक्षेपित निर्णय के निबंधनानुसार उसे नामंजूर कर दिया । खंड न्यायपीठ का तर्क यह था कि अपीलार्थी का मामला त्यागपत्र का था न कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का । अपीलार्थी ने तारीख 1 नवम्बर, 1993 से पूर्व अपना त्यागपत्र दे दिया था जबकि फायदा लेने के लिए शर्तें ये थीं : (i) कर्मचारी तारीख 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् और अधिसूचित तारीख से पूर्व अवश्य ही सेवानिवृत्त हो गए हों ; और (ii) कर्मचारी ने साधारण बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन निधि का सदस्य बनने के लिए बीमा कंपनी द्वारा अभिदाय की गई भविष्य निधि की रकम का प्रतिदाय करते हुए अधिसूचित तारीख से 120 दिन के भीतर स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने के विकल्प का प्रयोग अवश्य किया हो । अपीलार्थी के मामले में यह कहा गया था कि ये दोनों पहलू विद्यमान नहीं थे, जिसने अपेक्षित अवधि के भीतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कभी भी विकल्प नहीं किया था और न ही रकम का प्रतिदाय किया था जो कि नई पेंशन स्कीम का फायदा प्राप्त करने की पूर्वापेक्षाएं थीं ।

29. खंड न्यायपीठ की राय इस सुसंगत तथ्य पर भी आधारित थी कि खंड 4(4क) में अधिकथित शर्त के निबंधनानुसार 55 वर्ष की आयु पूरी करना भी अपेक्षित था, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपना त्यागपत्र दिए जाने और उसे स्वीकार किए जाने की तारीख को उसकी आयु 55 वर्ष नहीं थी । उक्त खंड निम्नलिखित रूप में है :-

> *"(4क) पूर्वगामी पैराओं में किसी बात के होते हुए भी, कोई अधिकारी या विकास कर्मचारिवृन्द का कोई व्यक्ति, सतर्कता अनापत्ति के अधीन रहते हुए, –

---

*अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :–

> "(4A) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-paragraphs, an Officer or a person of the Development staff may be permitted, subject to vigilance clearance, to seek voluntary retirement, –

(क) 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर या उसके पश्चात् किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को सेवानिवृत्त होने संबंधी अपने आशय की लिखित में नब्बे दिन की सूचना देकर ; या

परन्तु किसी अधिकारी या विकास कर्मचारिवृन्द के किसी व्यक्ति की ओर लिखित अनुरोध करने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी सूचना को पूर्णतः या भागतः अधित्यक्त किया जा सकेगा ; या

(ख) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क के अधीन बनाई गई और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बीमा प्रभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 585(अ), तारीख 28 जून, 1995 के अधीन प्रकाशित साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 30 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की ईप्सा कर सकेगा ।"

30. अंतिम सुसंगत पहलू यह है कि 1995 की स्कीम के खंड 22 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है :-

***"22. सेवा का समपहरण - निगम या किसी कंपनी की सेवा से किसी कर्मचारी के त्यागपत्र या उसकी पदच्युति या उसे हटाए जाने

(a) on completion of 55 years of age or at any time thereafter on giving ninety days notice in writing to the appointing authority of his intention to retire ; or

Provided that on a written request from an officer or a person of the Development Staff, such notice may be waived in full or in part by the appointing authority ; or

(b) in accordance with the provisions contained in paragraph 30 of the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, made under section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972) and published under notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Insurance Division number S.O. 585(E) dated 28th June, 1995."

**"22. Forfeiture of service - Resignation or dismissal or removal or termination

या उसकी सेवा-समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से उसकी पिछली संपूर्ण सेवा का समपहरण हो जाएगा और परिणामस्वरूप वह पेंशनिक फायदों के लिए अर्हित नहीं होगा ।"

31. अतः, पुनः त्यागपत्र की दशा में सेवा के समपहरण का यह खंड है ।

32. हम विधिक सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से यह उल्लेख कर सकते हैं कि **शील कुमार जैन** (उपर्युक्त) वाले मामले में **सुधीर चन्द्र सरकार** बनाम **टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य**[1] वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के निर्णय को ध्यान में रखा गया था । प्रत्यर्थी-कंपनी के एक अप्रसंविदाबद्ध कर्मचारी ने, जिसे मासिक आधार पर संदाय किया जाता था, सेवा से त्यागपत्र देने के पश्चात् निवृत्ति नियम (रिटायरिंग ग्रेच्युटी रूल्स), 1937 के अधीन 29 वर्ष से अधिक की निरन्तर सेवा करने के कारण उपदान के रूप में एक धनराशि वसूल करने की ईप्सा की । कर्मचारी को भविष्य निधि के देयों का संदाय किया गया था । पटना उच्च न्यायालय ने कर्मचारी के विरुद्ध निर्णय दिया । जब मामला इस न्यायालय में पहुंचा तब प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा दी गई दलीलों में से एक दलील यह थी कि कर्मचारी ने सेवा से त्यागपत्र दिया था और वह सेवानिवृत्त नहीं हुआ था । यह अवेक्षा की गई थी कि नियम 1(छ) में 'सेवानिवृत्ति' की परिभाषा "अवचार के कारण सेवोन्मुक्ति द्वारा हटाए जाने से भिन्न किसी हेतु के कारण सेवा के पर्यवसान" के रूप में दी गई थी । कर्मचारी को अवचार के कारण सेवोन्मुक्ति द्वारा नहीं हटाया गया था । चूंकि सेवा का पर्यवसान त्यागपत्र के कारण था इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वह नियमों के अधीन 'सेवानिवृत्ति' की परिभाषा के अंतर्गत अर्हित है । शेष निर्णय, जो कि इन सिद्धांतों के संबंध में था कि उपदान के बारे में किस प्रकार कार्यवाही की जानी चाहिए, सुसंगत नहीं है ।

---

or compulsory retirement of an employee from the service of the Corporation or a Company shall entail forfeiture of his entire past service and consequently shall not qualify for pensionary benefits."

[1] (1984) 3 एस. सी. सी. 369.

33. अतः हम यह पाते हैं कि उपर्युक्त मामले में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने जो राय व्यक्त की थी वह निवृत्ति नियम, 1937 के अनुसार 'सेवानिवृत्ति' की परिभाषा पर आधारित थी जो कि विस्तृत थी और उसमें केवल अवचार के कारण सेवोन्मुक्ति द्वारा हटाया जाना छोड़कर बाकी सब कुछ सम्मिलित था । अतः, इस निर्णय का और कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता था ।

34. हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि उपर्युक्त मामले में कुछ ऐसी मताभिव्यक्तियां भी हैं कि पेंशन और उपदान दोनों सेवानिवृत्ति संबंधी फायदे हैं और लंबी अवधि तक सेवा करने वाले कर्मचारी को पेंशन या उपदान या भविष्य निधि के रूप में, इनमें से सेवानिवृत्ति संबंधी जो फायदा उस औद्योगिक स्थापन में प्रवर्तनशील हो, कुछ सीमा तक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए । हमारे समक्ष फाइल की गई अपील के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, भविष्य निधि का फायदा दिया गया है क्योंकि सुसंगत काल प्रक्रम में यही स्कीम लागू थी । अधिकथित सिद्धांत यह नहीं है कि ये सभी फायदे एक-साथ दिए जाने चाहिएं किन्तु कम से कम एक फायदा अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए, हालांकि एक से अधिक फायदा दिए जाने के विरुद्ध कोई प्रतिषेध नहीं है ।

35. हमने ऊपर जो चर्चा की है उसे ध्यान में रखते हुए, हमारे द्वारा कथित सभी तीन पहलू सुसंगत हैं और वे अपीलार्थी को किसी अनुतोष के लिए निर्हकित करते हैं । हमने त्यागपत्र और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच अंतर को पहले ही स्पष्ट कर दिया है । अपीलार्थी द्वारा अपने त्यागपत्र को स्वयं "समयपूर्व सेवानिवृत्ति" के रूप में वर्गीकृत करने मात्र से कोई अंतर नहीं पड़ता है । सेवा के समपहरण से संबंधित ऊपर चर्चित वहीं सिद्धांत इस मामले में भी लागू होगा और यदि 1976 की स्कीम भी लागू की जानी थी तो भी जब अपीलार्थी ने त्यागपत्र दिया था तब उसने अपेक्षित आयु पूरी नहीं की थी ।

36. हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी कई वर्षों तक शांत रहा और यह न्यायालय, **शील कुमार जैन** (उपर्युक्त) वाले मामले में बाद में अपनाए गए विशिष्ट मत को ध्यान में रखते हुए इस बात के लिए हकदार नहीं बनाएगा कि इस निमित्त अपीलार्थी के दावों जैसे पुराने दावे उठाए जाएं । वास्तव में, अपीलार्थी ने निर्णय सुनाए जाने के पश्चात् भी

लगभग दो वर्ष से भी कुछ अधिक समय तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की ।

37. अतः, अपीलार्थी द्वारा यथा-प्रार्थित अनुतोष की ईप्सा करने के लिए इस न्यायालय में समावेदन करने का प्रयत्न करना स्पष्ट रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि नामंजूर किए जाने योग्य है और अपील खारिज की जाती है ।

2016 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 5716-5719.

38. इजाजत दी जाती है ।

39. इस मामले में अपीलार्थी प्रत्यर्थी-बैंक, अर्थात् आन्ध्रा बैंक के वे कर्मचारी थे, जिन्होंने 1991 और 1993 की विंडो अवधि के दौरान तीन मास की सूचना देने के पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दिया था । त्यागपत्र के आधार भिन्न-भिन्न थे । वे कर्मचारी तत्समय विद्यमान सेवा नियमों, अर्थात्, आन्ध्रा बैंक आफिसर्स सर्विस रेग्युलेशन्स (आन्ध्रा बैंक अधिकारी सेवा विनियम), 1982 द्वारा शासित होते थे । इसके काफी समय पश्चात् आन्ध्रा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम [आन्ध्रा बैंक (एम्पलायज़) पेंशन रेग्युलेशन्स], 1995 (संक्षेप में 'पेंशन विनियम') पुरःस्थापित किए गए थे, जो कि उसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हुए थे । इस मामले में कोई भूतलक्षिता अंतर्वलित नहीं थी । किन्तु ये पेंशन विनियम उन कर्मचारियों के लिए लागू किए गए थे जो तारीख 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् किन्तु तारीख 1 नवम्बर, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे ।

40. अपीलार्थियों ने इन पेंशन विनियमों के अधीन फायदे की ईप्सा की हालांकि उन्होंने अपनी सेवा से त्यागपत्र दिया था और उनकी यह प्रार्थना नामंजूर कर दी गई थी ।

41. आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने, तारीख 9 अक्तूबर, 2015 के आक्षेपित आदेश के निबंधनानुसार, अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि जब अपीलार्थियों ने त्यागपत्र दिया था उस समय ऐसे कोई पेंशन विनियम नहीं थे जिनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अस्तित्व में थी और मात्र इस कारण कि पेंशन विनियमों को ऐसे व्यक्तियों के लिए लागू किया गया है जो कि विंडो की पिछली अवधि के भीतर सेवानिवृत्त हुए थे, इससे उन

कर्मचारियों को वही फायदा नहीं प्राप्त होगा जिन्होंने सेवा से त्यागपत्र दिया था । इस निर्णय का तर्काधार **एम. आर. प्रभाकर और अन्य** बनाम **केनरा बैंक और अन्य** (उपर्युक्त) वाले निर्णय के प्रति निर्देश पर आधारित है ।

42. यह उल्लेख करना सुसंगत है कि **एम. आर. प्रभाकर और अन्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में केनरा बैंक के कर्मचारियों के लिए समरूप स्कीम पर विचार किया गया था और उसमें यह अभिवाक् किया गया था कि ऐसे कर्मचारियों के बारे में, जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, अवश्य ही यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि वे स्वेच्छया सेवानिवृत्त हुए हैं और इसलिए वे पेंशनिक फायदों के हकदार हैं । यह कहना पर्याप्त होगा कि इसमें पुनः 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' और 'त्यागपत्र' की संकल्पना के बीच विभेदीकरण का सिद्धांत था । चूंकि केनरा बैंक के कर्मचारियों को लागू विनियम 2(म), 1995 के पेंशन विनियमों के अधीन नियम 2(म) के तात्विक रूप से समान है इसलिए 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' को 'सेवानिवृत्ति' की परिभाषा के अंतर्गत लाया गया था किन्तु उसे 'त्यागपत्र' की धारणा के भीतर लाना उपयुक्त नहीं समझा था । चूंकि सेवा विधिशास्त्र में, 'त्यागपत्र' और 'सेवानिवृत्ति' की संकल्पना को भिन्न-भिन्न माना गया है और उन्हीं विनियमों में इन अभिव्यक्तियों का प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थों में किया गया है. इसलिए इसमें किसी भी रीति में कोई संदेह नहीं रहता है कि फायदा नहीं दिया जा सकता था, विशेष रूप से तब जब कि विनियमों के अधीन त्यागपत्र, पेंशनिक फायदों की ईप्सा करने के लिए एक निरर्हता है ।

43. अतः, हमारे द्वारा इसमें इसके पूर्व चर्चित विधिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह अपील भी अवश्य असफल होनी चाहिए और वह तद्नुसार खारिज की जाती है ।

44. उपर्युक्त विचार-विमर्श का अंतिम परिणाम यह है कि 2015 की सिविल अपील सं. 14739 मंजूर की जाती है जबकि 2016 की सिविल अपील सं. 10904 तथा 2016 की विशेष इजाजत याचिका सं. 5716-5719 से उद्भूत 2019 की सिविल अपील सं. 3138-3141 खारिज की जाती हैं और पक्षकार अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।

45. तद्नुसार निर्देश का उत्तर दिया जाता है ।

46. तथापि, हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि 2015 की सिविल अपील सं. 14379 में प्रत्यर्थी को तारीख 26 नवम्बर, 2015 के अंतरिम निदेशों के अधीन इससे पूर्व संदत्त की गई रकमों के लिए उनका प्रतिदाय करने का दावा नहीं किया जाएगा ।

तद्नुसार निर्णय किया गया ।

ग्रो.

[2019] 4 उम. नि. प. 58

बासलिंगप्पा

बनाम

मुदीबासप्पा

[2019 की दांडिक अपील सं. 636]

9 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) - धारा 138 और 139 - अपर्याप्त निधियों के कारण चैक का अनादरण - उपधारणा का सिद्धांत - यदि अभियुक्त चैक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लेता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि वह चैक किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया गया था ।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 118(क), 138 और 139 - चैक का अनादरण - चैक जारी करने वाले की वित्तीय क्षमता - अधिसंभाव्य प्रतिरक्षा - यदि साक्ष्य द्वारा सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया जाता है कि चैक जारी करते समय परिवादी की वित्तीय क्षमता ऐसी नहीं थी तो उस व्यक्ति द्वारा, जो धारा 138 के अधीन अपराध